मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 54–4/2017/20–3 भोपाल, दिनांक 01.03.2021

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः–पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान के संबंध में तथा पालकों से जबरन फीस की वसूली संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही वावत्।

संदर्भः–विभागीय पत्र दिनांक 04.04.2020, 16.05.2020, 04.09.2020, 09.12.2020 एवं दिनांक 22.12.2020

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित विभागीय समसंख्यक परिपत्रों का अवलोकन करें। उक्त परिपत्रों के माध्यम से लॉक डाउन अवधि में तथा उसके पश्चात् पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए है। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्देशों में मान. उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर में विभिन्न् अशासकीय विद्यालयों एवं पालकों के संगठनों की फीस भुगतान से संबंधित याचिकाओं के संबंध में दिनांक 04.11.2020 को पारित निर्णय के प्रमुख बिन्दुओं को भी समाहित किया गया है।

2/ प्रश्नाधीन विषय के संबंध में मान0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी कमांक 3533/2021 प्रोग्रेसिव स्कूलस् एसोसिएशन विरूद्ध राजस्थान सरकार में दिनांक 08.02.2021 को अंतरिम निर्णय पारित किया गया है, निर्णय की प्रति परि0–1 पर संलग्न है। उक्त निर्णय तथा संदर्भित निर्देशों के अनुक्रम में निम्नलिखित अनुसार निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. निजी विद्यालय प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए तथा इसके साथ–साथ शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए संदर्भित परिपत्रों द्वारा नियत की गई फीस छात्रों/अभिभावकों से एकत्र कर सकेंगे। उक्त फीस छह समान किस्तों में ली जा सकेंगी जो 05.03.2021 से प्रारंभ की जाकर 05.08.2021 को समाप्त होगी।
2. निजी विद्यालय प्रबंधन ऊपर दिए अनुसार बकाया एरियर्स/लंबित फीस की किस्त के भुगतान न किए जाने के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास अथवा विद्यालय में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकेंगे। इस आधार पर उक्त विद्यार्थियों परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकेगा।
3. उपर्युक्तानुसार भुगतान आदेश के संदर्भ में यदि किन्हीं अभिभावकों को फीस के भुगतान में कठिनाई हो रही है तो ऐसे अभिभावकों को यह छूट होगी की वे अपनी कठिनाई के संबंध में अपना व्यक्तिगत अभ्यावेदन संबंधित स्कूल को प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उक्त अभ्यावेदन को सहानुभुतिपूर्वक विचारण में लिया जाकर प्रकरणवार निराकरण किया जाएगा।
4. उपरोक्तानुसार व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2021–22 की फीस संग्रहण प्रकिया को प्रभावित नहीं करेगी। इस सत्र 2020–21 हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा यथा सूचित एवं

Scan/Rsatankar/01032021

नियत की गई फीस को अभिभावकों द्वारा देय समय अनुसार भुगतान किया जाना होगा।

5. अभिभावकों/छात्रों द्वारा शुल्क भुगतान न करने के आधार पर अथवा बकाया होने के आधार पर वर्ष 2021 की आगामी कक्षा 9वी से 12वी की परीक्षा में भाग लेने हेतु किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया शुल्क के भुगतान के लिए संबंधित अभिभावक/छात्र से अण्डरटेकिंग ली जाकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाए।

उक्त निर्देश प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। अशासकीय विद्यालयों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों की उल्लंघन की स्थिति अथवा पालकों से जबरन फीस की वसूली इत्यादि संबंधी प्राप्त शिकायतों पर कड़ी कार्यवाही की जाये।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

01.03.21

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 54—4/2020/20—3

भोपाल, दिनांक 01.03.2021

प्रतिलिपि—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, म.प्र. भोपाल ।
3. निज सचिव, मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. निज सचिव, मान. सदस्य, बाल अधिकार आयोग म.प्र.।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
8. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
9. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल ।
10. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षण मण्डल, भोपाल ।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।
12. निदेशक, मध्यप्रदेश ओपन बोर्ड, भोपाल ।
13. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल ।
14. सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड, भोपाल ।
15. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश
16. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

17. आर्डर बुक ।

उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग